

522

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:प 6(29)नविवि/3/2004पार्ट

जयपुर, दिनांक: - 3 FEB 2015

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्र संख्या प.6(19)नविआ/89 दिनांक 21.9.99 एवं प.7(11) नविवि/14 दिनांक 27.12.2014 के द्वारा निजी खातेदारों से समझौते से भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में खातेदारों/भू-स्वामियों को उनकी अवाप्ताधीन भूमि के एवज में क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड दिये जाने का प्रावधान किया गया था। उक्त परिपत्र में यह भी प्रावधान है कि उपरोक्तानुसार विकसित भूमि उन्हीं खातेदारों को दी जावेगी जिन खातेदारों द्वारा समय पर विकल्प दिया गया है।

भूमि अवाप्ति के कई प्रकरणों में अभी भी खातेदारों को मुआवजा का भुगतान नहीं होने के कारण संस्थाओं का अवाप्त भूमि का भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा इस कारण योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। अतः राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु जिन खातेदारों द्वारा मुआवजे की राशि नहीं ली गई है अथवा मुआवजे की राशि न्यायालय में जमा है ऐसे खातेदारों को अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि देने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने की समयावधि दिनांक 30.04.2015 तक रहेगी, जो निम्नांकित शर्तों के अधधीन होगा:-

1. दिनांक 27.10.2005 से पूर्व के जारी अवाई में भूमि के बदले विकसित भूमि 15 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान था। अतः दिनांक 27.10.2005 के पूर्व के प्रकरणों में अन्य के समान अवाप्त भूमि के बदले 15 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने का विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 30.4.2015 रहेगी।
2. दिनांक 27.10.2005 के पश्चात जारी अवाई में भूमि के बदले विकसित भूमि 25 प्रतिशत दिये जाने का प्रावधान था। अतः दिनांक 27.10.2005 के पश्चात के प्रकरणों में अन्य खातेदारों के समान अवाप्त भूमि के बदले विकसित भूमि दिये जाने बाबत विकल्प प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 30.4.2015 रहेगी।
3. जिन खातेदारों ने राशि नहीं उठाई है, उन्हीं को केवल विकल्प का मौका दिया जावेगा।
4. नवीन विकल्प के तहत विकसित भूमि देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि अवाप्ताधीन भूमि की विधिवत रूप से प्राधिकरण/हाउसिंग बोर्ड/न्यास द्वारा कब्जा लिखा जा चुका है। यदि न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हो तो सम्बन्धित काश्तकारों द्वारा उसे प्रत्याहसित (withdraw) करने के बाद ही विकसित भूमि दी जावे।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शारंग रावत-तृतीय